# कार्यालय वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

(दूरभाष/फैक्स सं0– 05942–235452, ई–मेल–cf_skumaon@rediffmail.com


सेवा में,

पत्र संख्या–2196/12–1 दिनांक, 28 अप्रैल ,2022.

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून

विषय :– जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल में शहीद इन्द्र सिंह बर्गली मोटर से खनस्यूं तक मोटर मार्ग हेतु 2.70 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/140247/2021)

संदर्भ:– प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल का पत्रांक– 5061/13–2(1) दिनांक–27.04.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में आपत्तियां लगायी गयी थी, जिनका बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है–

| क्र0 सं0 | बिन्दु | आख्या |
|---|---|---|
| 1 | प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों पर पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए विषय सूची संलग्न की जाए। | प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों पर पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए विषय सूची संलग्न कर प्रेषित है। |
| 2 | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–02 अपूर्ण संलग्न किया गया है, हरियाली का घनत्व अंकित करते हुए अन्य बिन्दुओं पर पूर्ण सूचना भरी जाए। | हरियाली का घनत्व 0.4 अंकित है। |
| 3 | प्रस्ताव में संलग्न प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति की पठनीय प्रति प्रस्ताव में संलग्न करें। | प्रस्ताव में संलग्न प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति की पठनीय प्रति प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है। |
| 4 | प्रस्ताव में संलग्न लम्बाई–चौड़ाई के प्रमाण पत्र में वन पंचायत भूमि में मार्ग की लम्बाई 2500 मी0 अंकित की गयी है जबकि संयुक्त निरीक्षण आख्या में वन पंचायत भूमि 2250 मी0 प्रभावित हो रही है, अंकित किया गया है, स्थिति स्पष्ट करें। | लम्बाई–चौड़ाई के प्रमाण पत्र तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या में वन पंचायत भूमि की लम्बाई को ठीक कर दिया गया है। |
| 5 | परियोजना के मानचित्र एवं बार चार्ट में एक रूपता नहीं है। संलग्न मानचित्र में तीन (3) जगह आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है, दर्शाया गया है, जबकि संलग्न बार चार्ट में दो स्थानों पर आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है, दर्शाया गया है, स्थिति स्पष्ट करें। | प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण में मार्ग के किमी0 1 से 300 मीटर तथा कि0मी0 6 में 200 मी0 कुल 500 मी0 आरक्षित भूमि ही प्रभावित हो रही है। शेष भूमि वन पंचायत भूमि है, जिस पर वृक्ष विद्यमान है। |
| 6 | वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित अधिकांश प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों में तिथि अंकित नहीं की गयी है। समस्त प्रमाण पत्रों में यथास्थान तिथि अंकित की जाये। | वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों में तिथि यथास्थान अंकित कर दी गयी है। |
| 7 | क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना निर्धारित दरों के अनुसार तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करें। | क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना निर्धारित दरों के अनुसार तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है। |

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्तावों की 03 प्रतियां संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(कुबेर सिंह बिष्ट)
वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड नैनीताल।

पत्रांक 2196/ दिनांकित।

1. प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग भवाली नैनीताल को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि विषयक प्रकरण के प्रस्ताव इस कार्यालय से प्राप्त कर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून कार्यालय में हस्तगत करवाना सुनिश्चित करें।

तीन प्रस्ताव प्राप्त किये
O.L
05/08/2022

(कुबेर सिंह बिष्ट)
वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड नैनीताल।